न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2018 (राजसमन्द आर्डर)

1. ऊंकार लाल पिता पृथ्वीराज जी मेनारिया (ब्राहमण), निवासी गवारड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती काली बाई पत्नी ऊंकारलाल जी मेनारिया (ब्राहमण), निवासी गवारड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. लेलापत पिता मथुरालाल जी मेनारिया (ब्राहमण), निवासी गवारड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. बोथलाल पिता मथुरालाल जी मेनारिया (ब्राहमण), निवासी गवारड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
दिनांक 24.05.2018 प्र.सं. 39/2018

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री हीरालाल मेनारिया अभिभाषक अपीलान्टगण

2. रेस्पोन्डेन्टगण अनुपस्थित

———::———

निर्णय दिनांक

28–03–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण की ओर से हाल रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गवारड़ी में खसरा नंबर 861

रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा है तथा 1/5 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 की माता का था, जो उनकी मृत्यु होने से उत्तराधिकार से प्रार्थी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा है, किन्तु राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा ही दर्ज है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उक्त भूमि पृथ्वीराज से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है। उक्त भूमियों का बिना विधिवत विभाजन कराये विपक्षीगण द्वारा जबरन निर्माण कार्य करने की धमकी दिये जाने से प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर विपक्षीगण के विरूद्ध आगामी पेशी दिनांक 17–01–2018 तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी, फिर भी विपक्षीगण निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं तथा जबरन दो कमरे, लेथ–बाथ व दुकाने बनवा दी है, जो न्यायालय आदेश की अवहेलना है। अतएवं विपक्षीगण को सिविल जेल की सजा दिलाई जावे एवं उनकी चल–अचल सम्पत्ति निलाम की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 24–05–2018 को लोक अदालत में रखा गया तथा उभयपक्ष की उपस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–08–2018 को पे”ा की गई है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट नियत पेशी दिनांक 15–05–2018 को पेशी पर गया तो कहा गया कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प में लगने से पेशी नहीं होगी एवं कैम्प कोर्ट समाप्त होने पर जुलाई माह में पता कर लेना, जिस पर अपीलान्ट संख्या 1 एवं उनके अधिवक्ता ने काफी प्रयास किया तो दिनांक 13–07–2018 को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। इसलिए देरी का पर्याप्त कारण होने से

अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24–05–2018 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–07–2018 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, लेकिन यह अपील 1 माह विलम्ब से प्रस्तुत हुई है, किन्तु न्यायहित में प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रहते हुए उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री डी. एस. शक्तावत ने अपनी अण्डर टेकिंग पेश की, किन्तु बाद में वे उपस्थित नहीं हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं बताया कि पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का आवेदन खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय को साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था ताकि अपीलान्ट को न्याय प्राप्त हो सके, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मात्र प्रकरणों की संख्या बढ़ाने की गर्ज से पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय करने में भारी भूल की है। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट ने पटवारी रिपोर्ट को झूठा होना बताया है, जबकि स्वयं अपीलान्ट पर्चा मौका बनाते समय उपस्थित था एवं उसके हस्ताक्षर हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार उसकी उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा उठाये गये उजरात प्रमाणित नहीं होने से प्रस्तुत अपील को हम सारहीन पाते हैं

एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–05–2018 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–03–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर